WESTERN U.P.

CHAMBER OF COMMERCE





MARCH MASIK PATRIKA 2025

1: 0121-2661177

Website: www.wupcc.org

Address: Bombay Bazar, Meerut

Cantt- 250001

> Patron

Dr. Mahendra Kumar Modi

> President

Dr. Ram Kumar Gupta

> Sr. Vice President

Shri G.C. Sharma

Jr. Vice President

Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar

Secretary / Editor

Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

> Chairman

Shri Rahul Das

> Co-Chairman

Shri Sushil Jain

> Members

Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)

Shri Rakesh Kohli

Shri Trilok Anand

Shri Rajendra Singh

Shri Atul Bhushan Gupta

INDEX

- अतिरिक्त टीडीएस कटौती से बचने के लिए फॉर्म- 13 भरें
- □ आयकर रिटर्न में सुधार करने की अंतिम तिथि नज़दीक आई
- चार साल की नई समय सीमा में आईटीआर भरने के नियम जाने
- नौकरीपेशा दम्पंती नई और पुरानी कर व्यवस्था का दोहरा लाभ उठाये
- गैर जरुरी प्रावधान हटाकर आयकर कानून समझने योग्य होगा
- जीएसटी के मामले में एफआईआर न हो तो भी मांगी जा सकती है अग्रिम जमानत
- □ डिजिटल फ्रॉड घटने के लिए ख़तम हो सकती है पुल ट्रांसक्शन सुविधा
- यूपीआई से लेनदेन पर शुल्क लगाने की तैयारी
- एमएसएमई के निवेश व टर्नओवर नियम एक अप्रैल से बदल जाएंगे
- पीवीवीएनएल : उपभोक्ता ऑनलाइन करें शिकायत और ट्रैकिंग
- औद्योगिक क्षेत्रो में बिसनेस प्लान के तहत होंगे बिजली आपूर्ति सुदृढ़ीकरण के कार्य
- रेपो दर घटने से एसएमई उद्योगों को मिलेगा फायदा
- आइआइपी के लिए मासिक डाटा जमा करें उद्योग
- ☐ You can change your name in PF account without any documents.
- □ Preparations underway to collect 'Amenities Fee' in Uttar Pradesh, Yogi government passes the file in cabinet meeting
- ☐ India signs MoU with Qatar to boost economic, financial cooperation

अतिरिक्त टीडीएस कटौती से बचने के लिए फार्म- 13 भरें

अगर आपकी कमाई पर ज्यादा टीडीएस कट रहा है और आप हर साल टैक्स रिफंड की झंझट से बचना चाहते हैं, तो फॉर्म-13 भरना एक बेहतरीन उपाय हो सकता है। आयकर विभाग ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यह फॉर्म जारी किया है, जिससे करदाताओं को कम या शून्य टीडीएस कटौती की सुविधा मिल सकती है। इस फॉर्म को भरकर पहले से ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि आय पर अतिरिक्त टीडीएस न कटे।

क्या है फॉर्म-13

अक्सर देखा जाता है कि बैंक, कंपनियां, नियोक्ता और अन्य संस्थान आयकर अधिनियम- 1961 के तहत निर्धारित दरों पर टीडीएस काटते हैं, भेले ही टैक्सपेयर की कुल कर देनदारी उतनी न बनती हो। कई लोगों का मासिक बजट प्रभावित होता है और अंत में उन्हें टैक्स रिफंड के लिए आवेदन करना पड़ता है। भले ही टैक्सपेयर की कुल कर देनदारी उतनी न बनती हो। कई लोगों का मासिक बजट प्रभावित होता है और अंत में उन्हें टैक्स रिफंड के लिए आवेदन करना पड़ता है। इस परेशानी बचाने के लिए सरकार करदाताओं को फॉर्म-13 की सुविधा दी है। यह आयकर अधिनियम-1961 के तहत उपलब्ध एक विशेष फॉर्म है, जो करदाताओं को कम या शून्य टीडीएस कटौती के लिए आवेदेन करने की सुविधा देता है।

आयकर रिटर्न में सुधार करने की अंतिम तिथि नज़दीक आई

आयकर विभाग समय-समय पर करदाताओं के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है, जिनमें से एक अपडेटेड रिटर्न (आईटीआर-यू) भरने की सुविधा है। यदि कोई व्यक्ति समय पर अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाया या रिटर्न में कोई गलती हो गई, तो वह अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से सुधार कर सकता है। जिन करदाताओं ने 31 दिसंबर 2024 तक भी संशोधित रिटर्न दाखिल नहीं की थी, उनके पास अब 31 मार्च 2025 तक इसे दाखिल करने का अंतिम मौका है।

ऐसे करदाता भी कर सकते हैं दाखिलः संशोधित आयकर रिटर्न को ऐसे करदाता भी दाखिल कर सकते हैं, जो तय समय पर इसे नहीं पाए हैं।

आयकर नियमों के तहत आकलन वर्ष खत्म होने से 24 महीने के भीतर ऐसे करदाता अपडेटेड आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जिन करदाताओं ने आकलन वर्ष 2023-2024 के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो वे इसे 31 मार्च 2026 तक दाखिल कर सकते हैं। इसी तरह जिन करदाताओं ने आकलन वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न नहीं दाखिल की है, उनके पास अब 31 मार्च 2025 तक इसे दाखिल करने का अंतिम मौका है।



चार साल की नई समय सीमा में आईटीआर भरने के नियम जाने

सरकार ने किसी भी आकलन वर्ष के लिए अपडेटेड आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा को मौजूदा दो साल से बढ़ाकर चार साल करने का प्रेस्ताव वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में रखा है। इससे करदाताओं को गलतियों को सुधारने, छूटी हुई आय घोषित करने और कर कानूनों का अनुपालन करने के लिए अधिक समयं मिलेगा। कर सलाहकारों का कहना है कि अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर सरकार ने करदाताओं को अपनी आय सही तरीके से घोषित करने का एक और मौका दिया है। ये बदलाव करदाताओं को समय पर रिटर्न फाइल करने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही, डिजिटल पहल से पारदर्शिता बढेगी और प्रक्रिया तेज होगी।

सावधानी से फॉर्म भरना जरूरी:

कर विशेषज्ञों के अनुसार, आईटीआर भरते समय बेहद सावधानी बरतने की जरूरत होती है। यदि करदाता फॉर्म में गलत जानकारी भरता है तो आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है। गलत फॉर्म जमा करने पर विभाग इसे अमान्य मानकर खारिज कर सकता है। साथ ही जुमांना भी लगा सकता है। ऐसे मामलों में, आयकर नोटिस या या जुमान जुमनि से बचने के लिए सही विवरण के साथ संशोधित रिटर्न 31 दिसंबर तक जमा किया जा सकता है। हालांकि, जानबूझकर कम जानकारी



देने या गलत आईटीआर फॉर्म चुनने से आय का निर्धारण गलत हो सकता है। ऐसे में कर चोरी का मामला बन सकता है। इसके परिणामस्वरूप आयकर विभाग देय कर राशि का 100% से 300% तक जुर्माना लग सकता है।

नौकरीपेशा दम्पंती नई और पुरानी कर व्यवस्था का दोहरा लाभ उठाये

केंद्रीय बजट-2025 में सभी आय वर्गों के लिए नई कर प्रणाली में कर दरों में कटौती के बाद ऐसा माना जा रहा है कि पुरानी कर व्यवस्था का दौर खत्म हो जाएगा। लेकिन जो लोग किराया चुका रहे हैं, उनके लिए यह व्यवस्था अभी भी फायदेमंद हो सकती है। मकान किराया भत्ता (एचआरए) की कर बचत क्षमता कुछ मामलों में पुरानी कर प्रणाली को अधिक लाभदायक बनाती है। खासतौर पर. विवाहित दंपति अपने वेतन और कर स्तैब के आधार पर एचआरए का रणनीतिक रूप से उपयोग करके कर बचत कर सकते हैं। एक फरवरी को पेश हुए बजट 2025 में वित्त मंत्री ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए 12

लाख तक की आय का कर मुक्त करने का ऐलान किया है। हालांकि, नौकरीपेशा विवाहित जोड़े इस बात को लेकर अब पी असमंजस में हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा कर की बचत कौन सी कर व्यवस्था में होगी। खासतौर पर मकान किराया भत्ता यानी एचआरए के मामले में। उनके मुताबिक एचआरए से कर बचाने में पुरानी कर व्यवस्था ज्यादा फायदेमंद रहती है, लेकिन नई कर व्यवस्था में कर छूट बढ़ाएं जाने से गणित बदल गया है। कर विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्थिति में पित-पत्नी में से किसी एक को पुरानी कर व्यवस्था में ही एचआरए का दावा करने पर कर की बचत हो सकती है।

किराये की कर बचत में अहम भूमिका : पुरानी कर व्यवस्था में कई कर छूँट दावों का लाभ मिल्ता है, जिसकी वजह से इसे फायदे का सौदा माना जाता था। लेकिन अब इसका लाभ लेने के लिए न्यूनतम कटौतीं को दोगुना करने की जरूरत होगी। उदाहरण के लिए अगर कोई 24 लाख रुपये से ज्यादा कमाता है तो ऐसे करदाता को पुरानी कर व्यवस्था में बेहतर फायदा उठानें के लिए कम से कम आठ लाख की कटौती और छट की जरूरत होगी। अगर उसकी दूसरी कटौतियां जैसे 80सी, स्वास्थ्य बीमा और एनपीएस भी जोड लिया जाए तो वो महज 2.75 लाख तकं ही कर बचां सकते हैं। बाकी के 5.25 लाख रुपये की बचत के लिए उन्हें एचआरए अथवा कार लीज का सहारा लेना पडेगा।

गैर जरुरी प्रावधान हटाकर आयकर कानून समझने योग्य होगा

नए आयकर विधायक में कई सारे बदलाव किए गए हैं। कई गैर जरूरी प्रावधानों को हटाकर नए आयकर कानून को वैश्विक मानकों के अनुकूल बनाने की कोशिश की गई है। आम व्यक्ति आसानी से कानून को समझ सकें और आयकर की गणना कर सकें, इसके लिए तालिकाओं का अधिक संख्या में प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही एक क्षेत्र एवं वर्ग से जुड़े प्रावधानों को एक ही जगह पर रखा गया है, जिससे आयकर विभाग से जुड़े अधिकारी और आयकरदाता को कोई परेशानी न हो। ऐसे ही कई सारे प्रावधान नए विधेयक में किए गए हैं

•नए बिल में दरों और अन्य नीति में क्या बदलाव हैं?

दरों से संबंधित कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिर्फ गैर जरूरी प्रावधानों को हटाकर कानून को सरल और स्पष्ट बनाने पर जोर दिया गया। इसके लिए जटिल शब्दों की जगह आसान शब्दों का इस्तेमाल किया गया है।

जीएसटी के मामले में एफआईआर न हो तो भी मांगी जा सकती है अग्रिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि अग्रिम जमानत का प्रावधान जीएसटी और कस्टम कानूनों पर भी लागू होता है। यानी, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तब भी वह अग्रिम जमानत के लिए अदालत जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश पीठ ने यह फैसला सुनाया।

फैसला सुनाते हुए, सीजेआई ने कहा कि अग्निम जमानत से जुड़े दंड प्रक्रिया संहिता और नए कानून 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' के प्रावधान, जीएसटी और कस्टम कानूनों पर भी लागू होंगे। इस फैसले के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को जीएसटी या कस्टम कानून के तहत गिरफ्तारी का डर है, तो वह अग्निम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है, भले ही एफआईआर दर्ज न हुई हो। इस मामले में विस्तृत फैसला आना अभी बाकी है।



जब मर्चेंट्स की ओर से ग्राहकों को भुगतान के लिए रिक्वेस्ट भेजी जाती है, तो उसे पुल ट्रांजेक्शन कहा जाता है। जब ग्राहक क्यूआर या अन्य किसी माध्यम से लेनदेन करता है, तो उसे पुश ट्रांजेक्शन कहा जाता है।

पुल ट्रांजेक्शन को हटाने से धोखाधड़ी के मामलों की संख्या में कमी आ सकती है, लेकिन कुछ बैंकर्स का कहना है कि इससे सही लेनदेन भी प्रभावित होंगे और इसका असर दक्षता पर होगा। बैंकों से बातचीत अभी शुरुआती चरण में है और इसे लागू करने पर अंतिम निर्णय होना है।

डिजिटल फ्रॉड घटने के लिए ख़तम हो सकती है पुल ट्रांसक्शन सुविधा

डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) यूपीआई पर पुल लेनदेन को हटाने के लिए बैंकों से बातचीत कर रहा है।यूपीआई पर ज्यादातर डिजिटल धोखाधड़ी पुल लेनदेन के माध्यम से ही होती है। आरबीआई के आकड़े

आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि डिजिटल भुगतान और कर्ज से संबंधित शिकायतें बड़ी चिंता बनी हुई हैं। चाल वित्त वर्ष में अप्रैल से जून के बीच आरबीआई लोकपाल को 14,401 शिकायतें मिलीं। जुलाई-सितंबर तिमाही में 12,744 शिकायतें दर्ज की गईं। फरवरी में यूपीआई लेनदेन की संख्या 16 अरब के पार पहुंच गई, जिसका कुल लेनदेन मूल्य 21 लाख करोड़ रुपये से अधिक था। 2024 में यूपीआई लेनदेन की संख्या 46 फीसदी बढ़ी थी।

यूपीआई से लेनदेन पर शुल्क लगाने की तैयारी

बड़े कारोबारियों से मर्चेंट शुल्क वसूलने का प्रस्ताव भेजा गया

सरकार यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड से लेनदेन पर मर्चेंट शुल्क (एमडीआर) फिर से लागू करने पर विचार कर रही है। फिलहाल इन से लेनदेन निशुल्क है लेकिन बैंक चाहते हैं कि कारोबारियों से शुल्क व्सूला जाएगा। इसका प्रस्ताव सरकार को भेंजा गया है। सूत्रों के मुताबिक छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई पहले की तरह निशुल्क रहेगा। आम लोग भी इससे प्रभावित नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि बैंकिंग उद्योग की तरफ से सरकार को जो प्रस्ताव भेजा गया है, उसमें सालाना 40 लाख रुपये से ज्यादा की बिक्री करने वाले कारोबारियों से मर्चेंट शुल्क वसूलने की मांग की गई है।

• किन लोगों पर लगेगा शुल्क

इस प्रस्ताव के अनुसार, सरकार टियर व्यवस्था लागू कर सकती है। यानी बड़े व्यापारियों पर ज्यादा शुल्क लगेगा और छोटे व्यापारी कम या बिल्कुल भी शुल्क नहीं देंगे। लेकिन बड़े व्यापारी जो हर महीने लाखों-करोड़ों का डिजिटल भुगतान करते हैं, उन्हें शुल्क देना होगा।

• क्या है एमडीआर

एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह चार्ज होता है, जो दुकानदार अपने बैंक को डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए देते हैं।



जब ग्राहक यूपीआई या डेबिट कार्ड से भुगतान करता है तो बैंक और पेमेंट कंपनियों को आईटी सिस्टम का खर्च उठाना पड़ता है। इसकी भरपाई के लिए मर्चेंट शुल्क का प्रस्ताव है। फिलहाल सरकार ने यह शुल्क माफ किया हुआ है।

•आम लोगों से भरपाई संभव

जानकारों का कहना कि अगर बड़े कारोबारियों पर मर्चेंट शुल्क लगता है तो वो इसकी भरपाई ग्राहकों से कर सकते हैं। वर्तमान में भी बड़े व्यापारी क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर एक फीसदी तक एमडीआर देते हैं। इस मामले में अधिकांश कारोबारी इसका भार ग्राहक पर डाल देते हैं और ग्राहक द्वारा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर उनसे 1.5 से 2 फीसदी तक ट्रांजेक्शन शुल्क वसूल लेते हैं।

एमएसएमई के निवेश व टर्नओवर नियम एक अप्रैल से बदल जाएंगे

नए नियमों के तहत 2.5 करोड़ रुपये तक के निवेश और पांच करोड़ टर्नओवर वाले उद्यमों को माना जाएगा सूक्ष्म उद्यम

सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएम्ई) को वर्गीकृत करने के लिए कुल कारोबॉर और निवेश मानदंडों में महत्त्वपूर्ण संशोधनों को अधिसूचित कर दिया हैं। ये एक अप्रैल से लागू होंगे। अब 2.5 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले उद्यूमों को 'सूक्ष्म उद्यम' के रूप में वर्गीकृत कियाँ जाएगा। इसकी सीमा पहलें एक कूरोड़ रुपये की थी। कुल कारोबार (टर्नओवर) की सीमा भी पांच करोड़ रुप्ये से बढ़ांकर 10 करोड़ रुपये कर्दी गई है। वहीं 25 क्रोड़ रुपये तक के निवेश वाली डूकाइयों को 'लघु उद्यम' के रूप में वर्गीकृत किया जाएँगा, जिसकी पहले सीमा 10 करोड़ रुपये थी। ऐसे उद्यमों के लिए कुल् कारोबार की सीमा 50 क्रोड़ रुपूर्वे सू बुढ़ाकर् 100 करोड़ रुपये कर दी गई है। इस्के अलावा 125 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले उद्यम को अब 'मध्यम उद्यम' माना् जाूएगा। पहले यह् सीमा 50 करोड़ रुपये थी। मध्यम उद्यमों के लिए कुल कारोबार की सीमा दोगुनी करके 500 क्रोड़ रुप्ये कर दी गईं है। वित् अपने बजट भाषण एमएसएमई के लिए नूए वर्गीकरण मान्दंडों की। घोषणा की थी, जिसमें वर्गीकरण के लिए निवेश तथा कुल कारोबार की सीमा को क्रमशः 2.5 गुना और दो गुना बढाने का प्रस्ताव था।

पीवीवीएनएल : उपभोक्ता ऑनलाइन करें शिकायत और ट्रैकिंग

बिजली उपभोक्ता ऑनलाइन अब शिकायत दर्ज कर घर बैठे उसको टैक भी कर सकते हैं। इसके लिए विभाग की वेबसाइट pyvnl.org पर जाना होगा। एमडी पीर्वीवीएनएल ईशा दुहन ने बताया कि pvvnl.org पर बिजली उपभोक्ताओं को डिजिटल माध्यम से विभिन्न सुविधाएं मिलेंगी। इस वेब पोर्टल पर सभी जॉनकारी एक क्लिक में उपलब्ध होने उपभोक्ताओं को कार्यालय नहीं आना पड़ेगा। विद्युत हेल्प लाइन नंबूर 1912 पर विद्युत संबंधी शिकायत, पंजीकरण तथा ट्रैकिंग की सुविधा इस वेबसाइट पर् उपलब्ध है। यह वेबपोर्टल उपभोक्ताओं को विद्युत कार्यालय में आये बिना, विद्युत संबंधी शिकायत के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है। इस वेबसाइट पर उपभोक्ता कन्ज्यूमर् कार्नर पर क्लिक के उपरान्त, विभिन्न निर्देशों का अनुपालन कर, विद्युत हेल्प लाइन नंबर 1912 की शिकायत, पंजीकरण कर सकते हैं। वेबसाइट पर उपभोक्ता की शिकायत को, टैक करने की सुविधा भी प्रदान की गयी है।

इसके अलावा विद्युत उपभोक्ताओं को व्हाट्अप चैट बोट के माध्यम से भी सीधे शिकायत दर्ज कराकर विद्युत संबंधी शिकायतों के शीघ्र समाधान की सुविधा प्रदान की गई है। व्हाट्अप चैट बोट के मोबाइल नंबर 7859804803 को क्यूआर कोड के साथ वेबसाइट से सम्बद्ध कर दिया गया है। वेबसाइट पर क्यूआर कोड उपलब्ध है, जिसे स्कैन करने पर उपभोक्ता सीधे चैट बोट से जुड जाएंगे। इस व्हाट्अप चैट बोट नंबर (7859804803) के माध्यम से उपभोक्ता शिकायतें सीधे दर्ज कराकर तुरन्त समाधान प्राप्त कर सकतें हैं।

औद्योगिक क्षेत्रो में बिसनेस प्लान के तहत होंगे बिजली आपूर्ति सुदृढ़ीकरण के कार्य



बिजनेस प्लान के तहत जनपद के औद्योगिक क्षेत्र में बिजली आपूर्ति सुद्दीकरण के महत्वपूर्ण कार्य होंगे। उद्योगपुरम और साईपुरम में यह कार्य किए जाएंगे। अधीक्षण अभियंता ने साईपुरम औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया। उद्यमियों ने प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने वाले कार्य की जानकारी दी। कहा इन्हें तुरंत कराया जाएगा।

फाल्ट ठीक करने के लिए पूरा सब स्टेशन बंद नहीं होगा, लगेगी आरएमयू

गर्मी के दिनों में आए दिन फाल्ट होते हैं। फाल्ट ठीक करने के लिए पूरे इलाके का शटडाउन लेना पड़ता है। औद्योगिक क्षेत्रों में इससे कई फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए चार स्थानों पर रिंग मेन यूनिट आरएमयू लगाया जाएगा। आरएमबू ऐसी जगह लगाई जाती हैं जहां दो या तीन लाइन एक जगह से गुजर रही हो। वहां पर पैनल लगाया जाता है। इसमें वीसीबी भी होता है। जहां की लाइन काटना होता है आरएमयू के माध्यम से केवल उसी छोटे क्षेत्र की बिजली काटी जाती है। शेष इलाकों में आपूर्ति बहाल रहती है।

रेपो दर घटने से एसएमई उद्योगों को मिलेगा फायदा

महंगाई घटने से अप्रैल में आरबीआई की होने वाली मौद्रिक नीति की बैठक में भी रेपो दर में कटौती की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो छोटे-मझोले उद्योगों (एसएमई) को फायदा होगा। एक्सिस बैंक के कार्यकारी उपाध्यक्ष ने कहा, छोटे उद्योगों के फंड की लागत कम हो रही है। इससे उन्का मार्जिन बढेगा। सभी छोटे उद्योग रेपो दर के अंतर्गत हैं, इसलिए उन्हें लाभ मिलेगा। तीसरी तिमाही तक एक्सिस बैंक ने छोटे उद्योगों को 2.22 लाख करोड़ का कर्ज दिया था। सितंबर, 2020 सें बैंक का एसएमई कर्ज 29 फीसदी चक्रवृद्धि दर से बढ़ा है। उन्होंने कहा, अनिश्चितता. के दौर में भारत अन्य देशों की तुलना में बेहतर जगह है। सरकार के प्रयासों से अब चालू खाता खोलने में हम केवल तीन मिनट लगाते हैं।

आइआइपी के लिए मासिक डाटा जमा करें उद्योग

उद्योग प्रोत्साहन एवं आतंरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) ने सभी मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों से अप्रैल 2022 से अब तक का मासिक उत्पादन डाटा जमा करने के लिए कहा है। सका उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) की नई सीरीज तैयार करना है। डीपीआइआइटी देश में औद्योगिक विकास के लिए सभी हितधारकों की आवश्यकता के अनुसार नीतियां तैयार करता है। विभाग का कहना है कि इसके लिए औद्योगिक वृद्धि पर नजर रखना जरूरी है। इसी के लिए उत्पादन का डाटा मांगा गया है।

You can change your name in PF account without any documents.

The Employees Provident Fund Organization has allowed members with Universal Number linked Account Aadhaar to change important facts like name, date of birth in their personal details without uploading any documents. According to the latest instructions, if UAN has already been verified through Aadhaar, then the subscriber can update his name, date of birth, gender, nationality, father / mother's name, marital status, spouse's name, date of joining and date of leaving the membership, without uploading any documents.

It is worth noting that the existing process of changing details quite timewas consuming and such requests needed to be through sent employers. This work usually took up to 28 days. According to the new provision, now only those subscribers will have to request amendment in details through the employer if their UAN was issued before October 1, 2017.

As of now, 45 percent of the requests can be self-verified by the employees and 50% of the requests require only the approval of the company without the involvement of EPFO.

Update details like this

- 1. Visit the Unified Member Portal https://uniedportalmem.epndia.gov.in/memberinterface/.
- 2. Enter your Universal Account Number i.e. UAN, Password and Captcha to log in.
- 3. After logging in, click on the 'Manage' tab.
- 4. If you need to update personal information like name, date of birth or gender, select the 'Modify Basic Details' option.
- 5. Fill the required fees with correct information as per your Aadhar Card. Ensure consistency in your PF account and Aadhaar details and submit.
- 6. You can track the status of your request under the 'Track Request' section in the portal.



Preparations underway to collect 'Amenities Fee' in Uttar Pradesh, Yogi government passes the file in cabinet meeting.

People will have to pay special amenity fee to get the map for construction of commercial building approved in areas like metro rail. Not only this, tall buildings can be constructed on less land area in cities.

Along with the budget, in the cabinet meeting held on Thursday under the chairmanship of Chief Minister Yogi Adityanath, 15 proposals including the development of a new township in Ghaziabad have been approved.

Approval of the proposal to levy special amenity fee

The Cabinet has approved the proposal to levy special amenity fee on approval of map of commercial building in areas having Metro Rail, Light Metro Rail, Ropeway and Regional Rapid Rail including Lucknow, Kanpur, Agra, Ghaziabad and Meerut.

The Housing and Urban Planning Department had proposed to charge special amenities fee due to increase in commercial activities in these areas. The Development Authority will collect this fee from those who get commercial maps passed.

New township in Ghaziabad city

The government will develop a new township in Ghaziabad city. For this, the Housing Department will spend more than Rs 1366 crore. The proposal to spend Rs 400 crore as its first installment has been approved.

These works will be done in Kanpur

- For the Kanpur Metro Rail Project, the state government will provide 12371 square meter land of the Irrigation Department from IIT to Naubasta for parking at Panchakkki Chauraha, Phoolbagh, and 1792.54 square meter land for ancillary building at Narora Chauraha Phoolbagh free of cost.
- 432 square meter land located at Transport Nagar Metro Station will be given permanently and 1766.17 square meter land located at Pandunagar near Devki Chauraha will be given to the free housing department for the construction of subway from Corridor 2 Agricultural University to the entry and exit of Kakadev Metro Station coming in Barra-8.
- The cabinet has approved a proposal of Rs 1510.57 crore for night safari and zoo in Kukrail forest area of Lucknow. This also includes the expenditure of third party audit.
- The proposal to issue the State Disaster Management Authority Officer/Employee Service Rules-2025 has been approved. With this, the service conditions of the officers and employees engaged in state disaster management will be more favorable for them.

India signs MoU with Qatar to boost economic, financial cooperation

India and Qatar have signed an agreement to promote and develop mutual collaboration in public-private partnership framework and investment, use of financing tools, as well as economic policies, the finance ministry said on Tuesday.

The Memorandum of Understanding (MoU) on financial and economic cooperation was signed between the two countries on February 18 during the visit of Amir of Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani to India.

"The MoU aims to promote and develop mutual collaboration in the areas of economic policies, use of financing tools, publicprivate partnership framework and investment.

The MoU is expected to explore new and emerging sectors and avenues for investments in both countries," the ministry said in a statement.

The ministries of finance of both countries shall promote models and areas of joint collaboration between them, such as organising expert workshops, seminars and conferences; exchanging documentary and technical information in areas of joint work and keeping pace with the dialogue between the business communities of the two countries.

The MoU signifies the commitment of both sides to work together and unlock new opportunities for investment, growth and development.